प्रेषक,

कुलदीप श्रीवास्तव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9 **लखनऊ : दिनांक 31 जुलाई, 2024**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान सं0-95 सिंचाई विभाग(अधिष्ठान) के अन्तर्गत राजस्व लेखा मद में लेखाशीर्षक-2701020010400 में मानक मद-42 अन्य व्यय (भारित) में प्रावधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के पत्रांक-1072/अधि0ब0अनु0, दिनांक 23.07.2024 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान सं0-95 सिंचाई विभाग(अधिष्ठान) के अन्तर्गत राजस्व लेखा मद में लेखाशीर्षक-2701020010400 के अन्तर्गत मानक मद-42 अन्य व्यय (भारित) मद में प्राविधानित धनराशि रू0 50.00 लाख व्यय करने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्न शर्तो के साथ प्रदान करते हैं;-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) अनुदान सं0-95/2701 के अन्तर्गत भारित मद में करायी गयी बजट व्यवस्था व्यय शासन के सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सम्बन्धित अनुभागों की सहमति प्राप्त करने के उपरान्त किया जाये।

(2) शासनादेश संख्या-159/2024/001-609-24-27-सिं-9-15एसएवी/23, दिनांक 23.04.2024 में दिए गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कर लिया जाये।

(3) उक्त धनराशि को व्यय करने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/ दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 में दिए गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कर लिया जाये।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 50,00,000 (रुपये पचास लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20242025 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 095 **लेखा शीर्षक** 2701020010400 कार्यकारी अधिष्ठान **मानक मद** 42 अन्य व्यय (भारित) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक- 04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
कुलदीप श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

संख्या-497/2024/001-1427-24-27-सिं-9-15 एसएवी/23, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।

2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज ।

3- मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।

4- अनु सचिव(लेखा) एवं नोडल अधिकारी, ऑन लाइन बजट आवंटन, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।

5- वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

6- वित्त (व्यय नियंत्रण), अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन।

7- वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।

8- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

वी0एन0तिवारी

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है